उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या–A-25 / XXVII(6) / टीसी 1466 / 2024
देहरादूनः दिनॉकः 07 फरवरी, 2025

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–25 / XXVII(6) / टीसी 1466 / 2024–25, दिनांक 07.02.2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड विस्तृत लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2025 की प्रति (हिन्दी / अंग्रेजी) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. उप निदेशक, वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, यू0के0पी0एफ0एम0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक, लेखा परीक्षा ऑडिट, निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर, इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. प्रभारी मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 25 /TC.1466/2025,
देहरादून, दिनांक: 02,फरवरी,2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 2, वर्ष 2012) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उत्तराखण्ड वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा नियमसंग्रह– 2021, अधिसूचना संख्या A 584/XXVII (6)/1466/तीन/2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के नियम 8 (ग) के अनुक्रम में ग्रामीण एवं शहरी निकायों की विस्तृत लेखा परीक्षा के संपादनार्थ प्रयोग किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली (जो इंटरनेशनल ऑर्गनाईजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (INTOSAI) द्वारा लागू निर्दिष्ट मानकों एवं दिशा–निर्देशों के यथा–संशोधित संस्करण के साथ पढ़ी जायेगी), को प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात–

उत्तराखण्ड विस्तृत लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2025

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ

1.(1) इस लेखा परीक्षा नियम संग्रह का संक्षिप्त नाम **उत्तराखण्ड विस्तृत लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2025** है।

(2) (i) यह नियम संग्रह, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित, अधिसूचना संख्या 495/xxvii(11)/2012 दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के अनुसार समस्त ग्रामीण निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों तथा समय–समय पर अधिसूचित अन्य निकायों एवं संस्थाओं पर लागू होगा।

(ii) विस्तृत लेखा परीक्षा औचित्य, नियमितता एवं धन उपादेयता पर आधारित होगा, जो इंटरनेशनल ऑर्गनाईजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (INTOSAI) के सुसंगत सिद्धान्तों को भी समाविष्ट करेगा।

(iii) इस नियम संग्रह का उपयोग लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा अपने कार्मिकों और अधिकारियों या चार्टेड अकाउंटेन्ट फर्मो या समय–समय पर सूचीबद्ध संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से किया जायेगा।

(iv) इस नियम संग्रह को उत्तराखण्ड वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2021 और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए अन्य संगत लेखा परीक्षा नियम–संग्रहों के साथ पढ़ा जाएगा।

(3) यह अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त

होगा।

विस्तृत लेखा परीक्षा नियम–संग्रह– एक परिचय

2.यह नियम–संग्रह, उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की विस्तृत लेखा परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित किये जाने हेतु, नीतियों, प्रक्रियाओं एवं मार्ग–दर्शन सिद्धांतों के नियमों का संग्रह है।

किसी ऑडिटी के लेनदेन के बड़े हिस्से की जांच करने के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर संदिग्ध धोखाधड़ी के मामलों की खोज के लिए किया जाता है, जहां वैध लेनदेन के बीच कुछ धोखाधड़ी वाले लेनदेन छिपे हो सकते हैं।

यह नियम–संग्रह, निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन/तैयार किया गया है–

- ▶ विस्तृत लेखा परीक्षा सम्पादित किये जाने हेतु, लेखा परीक्षकों के लिए जानकारी और प्रक्रिया के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करना।
- ▶ ग्रामीण एवं शहरी निकायों की विस्तृत लेखा परीक्षा सम्पादित करने में लेखा परीक्षकों की सहायता करना।
- ▶ आधुनिक लेखा परीक्षा तकनीकों का प्रयोग करने के लिए लेखा परीक्षकों को अनुपालन दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- ▶ विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट जारी करना।

लेखा परीक्षा के लिए लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों की सूची निम्नवत दी गई है:–

1. उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012
2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त एवं संशोधित)
3. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त एवं संशोधित)
4. उत्तराखंड नगरपालिका लेखा नियमावली (यूएमएएम) 2021 (समय–समय पर संशोधित)
5. उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (समय–समय पर यथा संशोधित)
6. समय–समय पर सरकार द्वारा प्रख्यापित ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित कोई अन्य नियम / विनियम और सीएजी/भारत सरकार द्वारा निर्गत कोई आदेश/एमओयू।

इस प्रकार, विस्तृत लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य इच्छित उपयोगकर्ता

Sinh

को यह जानकारी प्रदान करना है कि लेखा परीक्षित ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में लागू विधियों, विधायी कृत्यों, नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, नीतियों, प्रक्रियाओं का पालन करते हैं या नहीं, इत्यादि।

विस्तृत लेखा परीक्षा नियम संग्रह की प्रयुक्तता।

3. विस्तृत लेखा परीक्षा का सम्पादन, निदेशक, लेखा परीक्षा के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाएगा और निम्नलिखित प्रकरणों में संचालित किया जाएगा –

(क)विगत वर्ष / वर्षों में, वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के महत्वपूर्ण/ वस्तुगत/ व्यापक होने की स्थिति में तथा इन निष्कर्षों के कारण और प्रभाव की पहचान करने के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता है।

(ख)अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त के विवेक पर, विशेष लेखापरीक्षा के रूप में ।

(ग)लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा के साथ विस्तृत लेखा परीक्षा करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों का नमूना चयन किया जायेगा।

(घ)शहरी विकास/पंचायती राज/ग्रामीण विकास/शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकायो के प्रशासनिक प्रमुखों या इन इकाइयों के विभागाध्यक्षों (एच0ओ0डी) द्वारा किसी विशिष्ट निकाय/निकायों के लिए विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर निदेशक, लेखापरीक्षा इस हेतु आदेश दे सकते हैं।

उत्तराखण्ड विस्तृत लेखा परीक्षा नियम संग्रह के भाग एवं उनका संक्षिप्त विवरण

4.उत्तराखण्ड विस्तृत लेखा परीक्षा नियम संग्रह के दो भाग हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

नियम–संग्रह के भाग 1 में 8 अध्याय हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

• **अध्याय–1** (नियम संग्रह के बारे में)– यह अध्याय नियम–संग्रह का परिचय देता है, और इसमें नियम–संग्रह का अवलोकन, प्रयोज्यता और उपयोगकर्ता, लागू अधिनियम, नियम और विनियमन के साथ लेखा परीक्षा से सम्बन्धित आदेश सम्मिलित हैं।

• **अध्याय–2** (लेखा परीक्षा के बुनियादी सिद्धांत और अवधारणाएँ)–इस अध्याय में सार्वजनिक क्षेत्र ऑडिट के प्रकार, विस्तृत लेखा परीक्षा का उद्देश्य और लेखा परीक्षा मानकों की प्रयोज्यता, लेखा परीक्षा कार्मिकों के लिए आचार संहिता एवं स्वतंत्रता, लेखा परीक्षा सम्बन्धी महत्ता, जोखिम मॉडल, लेखा परीक्षा नमूना और लेखापरीक्षा साक्ष्य सम्मिलित हैं।

• **अध्याय–3** (लेखा परीक्षा जीवन चक्र)– यह अध्याय संपूर्ण लेखा परीक्षा जीवनचक्र पर विस्तार से उल्लेख करता है, यथा– लेखा

परीक्षा योजना और तैयारी, लेखा परीक्षा सम्पादन, लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा अनुपालन, लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण, गुणवत्ता आश्वासन तथा ओ0ए0एम0एस0 एवं सी0ए0ए0टी0 का परिचय ।

•**अध्याय–4** (लेखा परीक्षा योजना और तैयारी)–इस अध्याय में वे चरण सम्मिलित हैं जिनका समग्र वार्षिक ऑडिट योजना और किसी विशिष्ट लेखा परीक्षा की तैयारी में पालन किया जाना है।

• **अध्याय–5** (ऑडिट निष्पादन)– इस अध्याय में उन चरणों का उल्लेख किया गया है जिनका विशिष्ट ऑडिट कार्य को निष्पादित करने के लिए पालन किया जाना है।

• **अध्याय–6** (लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग और अभिलेखीकरण)– यह अध्याय लेखा परीक्षकों को रिपोर्टिंग एवं अभिलेखीकरण तथा विशिष्ट ऑडिट संलग्नता के लिए अपनाए जाने वाले चरणों की प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

• **अध्याय–7** (लेखा परीक्षा मॉनिटरिंग और फॉलोअप)– यह अध्याय उन चरणों के सम्बन्ध में उल्लेख करता है जिनका लेखा परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं सम्परीक्षा प्रस्तरों के अनुपालन तथा अन्यलेखा परीक्षा /आन्तरिक लेखापरीक्षकों / विशेषज्ञों के कार्यो के उपयोग करने हेतु अनुसरण किया जाना है।

• **अध्याय–8** (गुणवत्ता आश्वासन)– इस अध्याय में विस्तृत लेखा परीक्षा की गुणवत्ता आश्वासन की अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं।

भाग 2 में लेखा परीक्षा के दौरान उपयोग किए जाने वाले विभिन्न फॉर्म, प्रारूप और विस्तृत ऑडिट चेकलिस्ट सम्मिलित हैं।

विस्तृत लेखा परीक्षा के चरण–

5.विस्तृत लेखापरीक्षा मुख्यतः पॉच चरणों से गुजरता हैं–

लेखा परीक्षा योजना एवं तैयारीः योजना यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि लेखा परीक्षा कार्य कुशल और प्रभावी तरीके से किया गया है और लेखा परीक्षा के जोखिमों को स्वीकार्य स्तर तक कम कर दिया गया है। लेखा परीक्षा निदेशालय एक समग्र लेखा परीक्षा योजना स्थापित करेगा जो लेखा परीक्षा का दायरा, समय और दिशा निर्धारित करता है और लेखा परीक्षा योजना के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

लेखा परीक्षा निष्पादनः इस चरण के अन्तर्गत त्रैमासिक लेखा परीक्षा

योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा, और प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अनुप्रयोग के माध्यम से सम्परीक्षा अवलोकनों को नोट किया जाएगा। इस चरण में सम्परीक्षा कार्य की ऑन–फील्ड समीक्षा भी सम्मिलित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त निष्कर्ष या अवलोकन तथ्यों पर आधारित हैं और इन अवलोकनों को मान्य करने के लिए आवश्यक अभिलेख एकत्र कर उनका अभिलेखीकरण किया गया है। यह विस्तृत लेखापरीक्षा के निष्पादन के दौरान एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति की भी व्याख्या करता है।

लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग: इस चरण में ऑडिटी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर अथवा जहां ऑडिटी द्वारा प्रारंभिक ज्ञापन के विरूद्ध कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनके आधार पर प्रारंभिक ज्ञापन को ऑडिट फाइंडिंग मैट्रिक्स में बदलना सम्मिलित है

लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण, फॉलो–अप और अनुपालन: इस चरण में, लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण, प्रथम अनुपालन प्राप्त करना, ऑडिट पैरा पर प्रतिक्रिया समय पर प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए अनुस्मारक भेजना, गैर–अनुपालन के लिए प्रक्रिया, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुपालन में सुधार के लिए कदम और अनुपालन की स्थिति में ऑडिट पैरा को चिह्नित करना सम्मिलित है।

गुणवत्ता आश्वासन ढांचा: इस चरण में पर्यवेक्षण अधिकारियों का उत्तरदायित्व सम्मिलित है, यथा–निदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा समीक्षा करना तथा निदेशालय लेखा परीक्षा को "त्रैमासिक प्रगति और निष्पादन रिपोर्ट" प्रस्तुत करना।

नोट– इस नियम–संग्रह के प्रख्यापित किये जाने के दिनांक के पश्चात इस अधिसूचना में वर्णित उपबन्धों का सम्पूर्ण विवरण उत्तराखण्ड ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेन्ट सिस्टम (यू0ओ0ए0एम0एस0) पर देखा जा सकेगा।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)

सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 25 /XXVII(6)/2025 Dehradun, Dated 07-02-2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-06
No. 25 / TC.1466 /2025,
Dehradun, dated:07.Feb.2025

Notification

In exercise of the powers conferred by section 20 of the Uttarakhand Audit Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 2 of 2012) and in order of rule 8 (c) of the Uttarakhand Financial Attest Audit Manual, 2021, Notification No.A-584/XXVII(6)/1466/three/ 2021 dated 06 December 2021for the purpose of detailed audit of rural and urban local bodies, the Governor is pleased to allow the following manual, (read along withthespecified and updated, standards and guidelines issued by the International Supreme Audit Institution (INTOSAI)), to be promulgated, namely:

The Uttarakhand Detailed Audit Manual, 2025

Short title, extent and Commencement

1. (1) This Audit Manual may be called the **Uttarakhand Detailed Audit Manual, 2025.**

(2) (i) This Audit Manual shall apply to all the Rural and Urban Local Bodies, notified under the Gazette Notification No. 495//XXVII(11)/2012 dated 26 November 2012 and other bodies and institutions,notified from time to time, as per the provision of sub-section (1) of section 4 of the Uttarakhand Audit Act, 2012

(ii) Detailed audit shall be based on the propriety, regularity and utilization of money which shall also include relevant standards issued by the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

(iii) The Directorate of Audit (DoA) shall use this manual through its personnel and officers or Chartered Accountant firms or institutes/agencies empaneled from time to time.

(iv) This manual shall be read with the Uttarakhand Financial Attest Audit Manual, 2021, and other relevant audit manuals prepared for specific areas.

(3) This shall come in force from the date of publication of notification in the Official Gazette.

Detailed Audit Manual – An Overview

2.This Manual is a compilation of the policies, procedures and guidelines that governs the Detailed Audit of Rural Local Bodies and Urban Local Bodies in the state of Uttarakhand.

A detailed audit is used to examine a large proportion of the transactions of anauditee. It is typically used to search for cases of suspected fraud, where there may be a few fraudulent transactions hidden amongst a mass of legitimate transactions.

This manual is designed to meet the following purposes:

- Serve as a primary source of information and procedure for the auditors to conduct Detailed Audit.
- Assist the auditors in performing Detailed Audit of Rural Local Bodies and Urban Local Bodies.
- Provide auditors with the compliance guidelines for applying modern audit techniques
- Issue detailed audit report

The list of Acts, rules, and regulations applicable for the Audit, is given below:

1. The Uttarakhand Audit Act, 2012
2. The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (as applicable and as amended in Uttarakhand)
3. The Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 (as in force and as amended in Uttarakhand)
4. The Uttarakhand Municipal Accounting Manual (UMAM) 2021(as amended from time to time)
5. The Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 (as applicable from time to time.)
6. Any other rules/regulations concerning the Urban Local BodiesandRural Local Bodies as promulgated by the Government of Uttarakhand from time to time and any mandate/Memorandum of Understanding by Comptroller and Auditor General of India /Government of India.

Thus, the main objective of detailed audit is to provide the intended user(s) with information on whether the audited Urban Local Bodiesand Rural Local Bodies follow the applicable statutes, legislative Acts, rules, regulations,

orders, notifications, circulars, policies, procedures, etc.

Applicabilityof DetailedAudit Manual.

3.A detailed audit will be initiated with the approval of Director, Audit and shall be conducted in the following cases:

(a) Audit findings from Financial Attest Auditof the previous year(s) are significant/material/pervasive and there is a need to apply detailed audit procedures to identify the cause and effect of these findings.

(b) At the discretion of the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Finance as Special Audit.

(c) Directorate of Auditshall select a sample of Urban Local Bodies/ Rural Local Bodies for conducting detailed audit along with Financial Attest Audit every year.

(d) On the request of Administrative or Departmental Heads of Urban Development/Panchayati Raj / Rural Development/any implementing agencies for Urban or Rural local bodies to Director, Audit, who may order conduct of detailed audit for specific units.

Detailed Audit Manual- Parts and a brief description

4. The Uttarakhand Detailed Audit Manual has two parts, the brief description of which is as follows-

Part I of the Manual consists 8 chapters, a brief description of which is as follows;

- Chapter-1 (About the Manual)- This chapter introduces the Manual, and includes overview, applicability & user of this manual, Audit Mandates along with applicable Act, Rules, and Regulation.
- Chapter-2 (Basic Principles and Concepts in Auditing)- This chapter includes types of public sector audit, purpose and objective of Detail Audit, Applicability of the Auditing Standards, Code of Ethics and Independence for audit staff, audit materiality, Risk Model, Audit Sampling and Audit Evidence.
- Chapter-3 (Audit Life Cycle)- This chapter elaborates on whole Audit Lifecycle viz. audit planning and preparation, audit execution, audit reporting, audit follow up, audit monitoring and quality assurance and

introduction to OAMS and CAAT

- Chapter-4 (Audit Planning and Preparation)- This chapter includes the steps that are to be followed in overall annual audit planning and preparation for individual audits.
- Chapter-5 (Audit Execution)- This chapter covers the steps that is to be followed for executing an individual audit engagement
- Chapter-6 (Audit Reporting and Documentation)- This chapter guides auditors on processes to be followed onsteps that is to be followed for reporting and documenting and individual audit engagement.
- Chapter-7 (Audit Monitoring and Followup) – This chapter elaborates on the steps that is to be followed for audit monitoring and compliance of audit paras and using the work of another auditor/ internal auditor and expert.
- Chapter-8 (Quality Assurance)- This chapter consists of procedures to be followed for quality assurance of Detail Audit

Part-II comprises the various forms, formats and detailed audit checklist to be used during the audit.

Detailed Audit Stages-

5.A detailed audit passes primarily through five phases.

Audit Planning and Preparation: Planning is an important step to ensure that the audit engagement is performed in an efficient and effective manner and that audit risk has been reduced to an acceptable level. The Directorate of Audit shall establish an overall audit planning that sets the scope, timing and direction of the audit and guides for the development of the audit plan.

Audit Execution: Under this phase quarterly audit plans will be executed, and observations are noted through systematic application of the audit procedures. This phase also involves on-field review of the audit work done to ensure that the conclusions or observations arrived are based on facts and necessary documents have been collected and documented to validate these observations. It also explains the nature of evidence to be gathered during execution of Detailed Audit.

Audit Reporting: This phase covers conversion of initial memorandum to audit finding matrix based on the reply submitted by the auditee or where no reply submitted by the

auditee against the initial memorandum.

Audit Monitoring, Follow-up and Compliance: This phase includes audit monitoring and receiving first compliance,sending reminders to ensure response to audit paras is received in time, procedure for non-compliance, steps to improve compliances to audit reports and marking audit paras as complied.

Quality Assurance Framework: This phase includes the responsibility of the supervisory authorities, i.e. Officer Authorized by the Director, Audit to review and submit the "Quarterly Progress and Performance ReporttoDirectorate of Audit.

Note- After the date of promulgation of this manual, complete details of the provisions of the rules mentioned in this notification, can be seen on Uttarakhand Online Audit Management System (UOAMS).

Order by,

(Dilip Jawalkar)
Secretary